न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 36 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 149
हरीश गर्ग पुत्र हरजिन्द्र गर्ग निवासी वार्ड नं. 10 जैतसर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब नहीं दिया गया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के पत्रांक / रीडर / 2024 / 3127 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण आवेदन कार्यालय की राजकाज आईडी संख्या 9872050 दिनांक 20.08.2024 द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर के कार्यालय में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु भिजवा दिया गया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रेषित किये जाने का तो अंकन अपने प्रतिवेदन में किया हैं परन्तु इसकी सूचना अपीलार्थी को दिये जाने के संबंध में अंकन नहीं किया गया हैं ना ही आवेदन पत्र हस्तांतरित किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से लाईफ लिबर्टी के आधार पर दिनांक 24.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 29.07.2024 को रजि. डाक द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को प्रेषित किया। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 20.08.2024 को आवेदन हस्तांतरित किया गया हैं जबकि उपखण्ड अधिकारी को चाहिए था कि यदि सूचना उनके कार्यालय से संबंधित होती तो अविलंब सूचना उपलब्ध करवाते अथवा यदि आवेदन पत्र उनके कार्यालय से संबंधित नहीं था तो वे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन संबंधित को हस्तांतरित करते और इसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते तथा पोर्टल पर अद्यतन करते। परन्तु प्रकरण में इसका अभाव पाया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं और उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णय की प्रति प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अपीलार्थी / आवेदक के आवेदन पत्र पर पुनः विधिवत विनिश्चय पारित करते हुए अपीलार्थी / आवेदक को सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं की जावे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)